न्यायालय जिला कलेक्टर, (लोक अदालत), दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा,
आई0ए0एस0

अपील सं0 144/2017

रामोतार पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी राजपुरा तहसील व जिला दौसा ...अपी0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार दौसा ...रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय दिनाक 12.10.2017
व न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा

उपस्थित :1. श्री राजेंद्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री चंद्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

<u>**निर्णय**</u> **दिनांक 23.05.2018**

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार दौसा ने दिनाक 12.10.2017 को ग्राम राजपुरा तहसील दौसा के आराजी खसरा नम्बर 9 रकबा 1.00 है0 किस्म भूमि चरागाह पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं पेनल्टी का आदेश पारित कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान सरकार (राजस्व ग्रुप–1) विभाग के निर्देशानुसार लोक अदालत का आयोजन कर प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत किया गया ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा लोक अदालत में उपस्थित होकर बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अतिक्रमित भूमि से कब्जा हटा लिया है। अपीलांट का मौके पर कब्जा नहीं है। अपीलांट द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किया जाने में सहमति प्रकट की। प्रकरण का गुणावगुण व शपथ पत्र के आधार पर लोक अदालत की भावना के अनुसार न्यायहित में निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ–पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र की छाया प्रति व निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 23 मई, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा